# डा0 भीमराव आंम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्तीः आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्याः सम्ब0/6994/2018
दिनांक :– 25.08.2018

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य
सर्वोदय महाविद्यालय, चौमुहॉ, मथुरा

विषयः– सर्वोदय महाविद्यालय, चौमुहॉ, मथुरा को कृषि संकाय संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एससी0 (कृषि) कृषि प्रसार एवं उद्यान विज्ञान सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–सम्बद्धन/157/16 दिनांक 24.02.2016 के द्वारा **सर्वोदय महाविद्यालय, चौमुहॉ, मथुरा** को कृषि संकाय संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम0एससी0 (कृषि) कृषि प्रसार एवं उद्यान विज्ञान पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.10.2015 से दिनांक 30.06.2017 तक दो वर्ष एवं कार्योत्तर स्वीकृति (सत्र 2017–18) एक वर्ष के लिये सशर्त सम्बद्धता प्रदान किया जाना सूचित किया गया था।

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार **सर्वोदय महाविद्यालय, चौमुहॉ, मथुरा** को कृषि संकाय संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर एम0एससी0 (कृषि) कृषि प्रसार एवं उद्यान विज्ञान स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता विस्तारण एम0एससी0 (कृषि) कृषि प्रसार एवं उद्यान विज्ञान पाठ्यक्रमों में (सत्र 2018–19) दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :–

**1. प्रबन्ध समिति कालातीत हैं। 2. शिक्षक/प्राचार्य अनुमोदित नहीं हैं। 3. एन0बी0सी0 का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं हैं। 4. नकल विहीन परीक्षाफल का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं। 5. महाविद्यालय के बैंक खाते का बैंक स्टेटमेन्ट संलग्न नहीं हैं।**

(1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कमियों के साथ–साथ दिनांक 30.06.2019 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।

(2) महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार **सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्राजात जमा करायें। अगले सत्र का सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त न होने की स्थिति में शैक्षणिक सत्र (2019–20) में सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।** इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

(3) **महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के संविदा पत्र की तीन प्रति निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एक प्रति विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।**

(4) **महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुचिता बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षों तथा महाविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण (Control Room) कक्ष में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगने का प्रमाण विश्वविद्यालय में प्रेषित किया जाये।**

(5) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रकिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(6) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

(7) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।

(8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।

(9) महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2218/सत्तर–2–2011–16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(10) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाई की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।

(12) संस्था परिसर को रैंगिग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

(13) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजूकेशन(ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 –।। पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही हैं।

भवदीय

(कैलाश नाथ सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. **सचिव/प्रबन्धक, सर्वोदय महाविद्यालय, चौमुहॉ, मथुरा।**
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रर्दशन हेतु।
7. वेवसाईट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेड़कर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

(कैलाश नाथ सिंह)
कुलसचिव